रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 207] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 2, 1974/वैशाख 12, 1896

No. 207] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 2, 1974/VAISAKHA 12, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 2nd May 1074

S.O. 280(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 333(E)|18A|IDRA|72, dated the 4th May, 1972, the management of the industrial undertaking known as Smith Stanistreet and Co. Ltd., Calcutta, has been taken over under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of two years up to and inclusive of the 3rd May, 1974;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking should continue for a further period of two years under the Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd., New Delhi, authorised by the Central Government in the order mentioned above as the Authorised Controller;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the order mentioned above shall continue to have effect for a further period of two years upto and inclusive of the 3rd May, 1976.

[No. F. 4/2/72-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 मई, 1974

का० आ० 280(अ).—यतः भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 333(ई)/18ए/आई० डी० आर० ए०/72, तारीख 4 मई, 1974 द्वारा स्मिथ स्टनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क के अधीन 3 मई, 1974 तक की जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, 2 वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में यह समाचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के अधीन जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा उपरोक्त वर्णित आदेश में प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में प्राधिकृत किया गया है, 2 वर्ष की और अवधि के लिए जारी रखा जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि ऊपर वर्णित आदेश 3 मई, 1976 तक की, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, दो वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ।

[सं० फा० 4/2/72-सी०यू०सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974